के विरुद्ध कोई भी जांच आयोग स्थापित नहीं किया है।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठता।

Corporation cases against Government officials registered by CBI

1453 SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the CBI has registered cases of corruption against several Government officials during the past three months;

(b) if so, the details thereof and the charges registered against them; and

(c) what punitive action Government propose to take against them?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (SMT. MARGARET ALVA): (a) Yes, Sir.

(b) 323 cases of corruption were registered against 571 Govt. officials during the last 3 months i.e. August to October, 1994. Out of 323 cases, investigation in 60 cases has so far been finalised. Out of 60 cases finalised, 30 cases were sent up for trial, 29 cases were referred to the Deptts. concerned for initiating Regular Departmental Action and one case was closed for want of sufficient evidence.

(c) Action against such officers depends on the outcome of judicial trials and/or regular department action, which are quasi-judicial in nature.

कापार्ट द्वारा बिहार में स्वीकृत की गई योजनायें

1454. श्री रामदेव भंडारी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, 1994 से अब तक कापार्ट द्वारा मधुबनी (बिहार) में स्वयंसेवी संस्थाओं को स्वीकृत की गई योजनाओं और जारी की गई धनराशि का ब्यौरा क्या-क्या है और योजनाओं के संबंध में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) किन-किन संस्थाओं के विरुद्ध धनराशि के दुर्विनियोग की जांच चल रही है ; और

(ग) इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई पटेल) : (क) बिहार के मधुबनी जिले में कापार्ट द्वारा 1.4.1994 से 31.10.1994 तक स्वयंसेवी संस्थाओं को दी गई सहायता, स्वीकृत की गई योजनाएं, स्वीकृत की गई धनराशि एवं जारी की गई धनराशि एवं स्वीकृत योजनाओं की प्रगति का ब्यौरा दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। **नीचे देखिए)**

(ख) बिहार के मधुबनी जिले में कापार्ट द्वारा सहायता प्राप्त किसी भी स्वयंसेवी संस्था के विरुद्ध धनराशि के दुर्विनियोग के लिए पूछताछ का कोई मामला लंबित नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।